

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-बीकानेर/2019/

दिनांक :

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में श्री प्रताप राणा, कनिष्ठ सहायक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 26.10.2016 है तथा दिनांक 25.10.2018 को दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करली है तथा कार्मिक द्वारा दिनांक 10.11.2014 को आरएससीआईटी एवं दिनांक 24.12.2018 को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करली है को परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 26.10.2018 से रूपये 20800(लेवल-5) पर वेतन नियतन करते हुए एतद द्वारा स्थाई किया जाता है।

कर्मचारी को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि 24.12.2018 से वार्षिक वेतन वृद्धि का नकद लाभ देय होगा।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 12/04/19

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-बीकानेर/2019/891

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
2. श्री प्रताप राणा, कनिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर